राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांकः– एफ 17(ई)( )ग्राविप/प्रशा.2/क.लि.नियु./2018/2147 जयपुर, दिनांकः 11-5-18

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2013 में आयोजित लिपिक ग्रेड–II, संयुक्त परीक्षा 2013 की प्रतियोगी परीक्षा में सफल घोषित होने के फलस्वरूप संयुक्त शासन सचिव प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग के पत्रांक प. 1(6)प्र.सु./अनु.–3/2017 दिनांक 08.02.2018 के द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों में परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में नियुक्ति हेतु विभाग आवंटित किया गया है। राजस्थान अधीनस्थ कनिष्ठ सहायक वर्गीय सेवा नियम 1999 के नियमों के अन्तर्गत निम्नांकित अभ्यर्थियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक 14600/– रूपये प्रतिमाह एवं परिवीक्षाधीनकाल संतोषजनक पूर्ण करने के उपरान्त पे मैट्रिक्स लेवल संख्या 05 पर अधोलिखित शर्तों पर पूर्व नियुक्ति आदेश कमांक 1135 दिनांक 08.03.2018 की निरन्तरता में कार्यभार सम्भालने की तिथि से एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है:–

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	वर्ग	मेरिट नं.	रोल नं.	जन्म तिथि
1.	श्री अभिमन्युसिंह	श्री घनश्याम सिंह	सामान्य	830	547078	27.9.1993
2.	श्री हितेश कुमार	श्री वीरमा राम	पिछडा वर्ग	1320	650493	1.1.1996

1. उपरोक्त अभ्यर्थी के आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। जो अभ्यर्थी किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो, वे पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्त्ता को सूचित कर देवें कि वे कब तक कार्यभार संभालेगें। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इनके नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
2. नियुक्तियां आवंटित पदो के संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डी बी सिविल याचिका संख्या 1693/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम अनिल कुमार व अन्य रिट याचिकाओ में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 की अनुपालना में अस्थाई परिणाम दिनांक 7.7.2017 को घोषित किया गया। डी.बी. अपील संख्या 965/2017 राजस्थान लोक सेवा आयेाग बनाम श्रवण सिंह मे पारित ओदश दिनांक 03.11. 2017 व अन्य याचिकाओं/अपीलो के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।
3. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप मे प्रस्तुत करनी होगी।
4. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
5. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ 11/एसटी एससी ओबीसी एसबीसी/जा.प्रा.प/सामान्यअवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015 पत्रांक 63606–726 दिनांक 20.10. 2015 एवं प0 11(204)आरएण्डपी/डीडीबीसी/सान्याअवि/2011/68999–69032 जयपुर दिनांक 11.11. 2016 में वर्णित दिशा–निर्देशो/सत्यापन के अध्यधीन पूर्णतया अस्थाई रूप में रहेगी।
6. परीवीक्षाकाल प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त विभाग की अधिसूचना पं. 12(6)वित्त/ नियम/05 दिनांक 13.3.2006, 6(6)वित्त/नियम/2005 दिनांक 13.3.2006, 1(2)वित्त/ नियम/2006 दिनांक 13.3.2006, 13(1)वित्त/नियम/ 2003 दिनांक 13.3.2006 तथा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरक्षित वेतनमान) नियम, 2017 के नियम 16 व अनुसची iv के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होंगे इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा–मकान किराया भत्ता, मंहगाई शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष आदि देय नहीं होगें।
7. परीवीक्षाकाल में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
8. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया अथवा परीवीक्षा काल की समाप्ति पर ली गई। विभागीय परीक्षा यदि कोई हो तो में असफल रहने पर उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
. दो वर्ष की परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ सहायक के पद पर पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या 05 में नियमानुसार अन्य भत्ते देय होगें।
. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगे।

11. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश सं. एफ. 13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.1.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होगें एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होगे।
12. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Throgh Proper Channel) कार्यमुक्त किये जाने का आदेश अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
13. यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कोई कमी अथवा दस्तावेज फर्जी पाये जाते है तो राज्य सरकार इनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर सकेगी।
14. अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
15. चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) पत्रांक प. 1(6)प्र.सु./ अनु.–3/2017 दिनांक 08.02.2018 के अनुसार इस विभाग हेतु निर्धारित योग्यता सूची के अनुसार योग्य क्रम में ही रहेगी।
16. अभ्याथी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
17. उपरोक्त समस्त अभ्यार्थी परिशिष्ठ "अ" में वर्णित प्रमाणित दस्तावेजों के साथ उपस्थित होवें।
18. अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने से पूर्व 10/– रूपये सममूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनांए एवं संलग्न किये गये प्रमाण पत्र सत्य है। प्रस्तुत दस्तावेजो मे से कोई दस्तावेज/सूचना असत्य/फर्जी पाये जाने पर राज्य सरकार इनके सेवाये तत्काल समाप्त कर सकेगी।
19. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 12(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006, 6(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम 16 व अनुसूची IV दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक के हकदार होगे इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा–मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नही होगे। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुए निर्णय के विरूद्व माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
20. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशो/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होगें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(राजेन्द्र शेखर मक्कड)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.2)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंरावि, मुख्यालय।
2. संयुक्त शासन सचिव प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग के पत्रांक प. 1(6)प्र.सु./ अनु.–3/2017 दिनांक 08.02.2018 के क्रम में प्रेषित है ।
3. कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारी, रोकड शाखा (दो प्रतियों में)।
4. प्रोग्रामर, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोट करे।
5. संबंधित अभ्यार्थी श्री .....
   को भेजकर लेख है कि अपना मेडिकल मुआयना मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कराकर स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधित मूल प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र के साथ अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करे।
6. निजी/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.2)